डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम गुडामालानी (बाड़मेर) व

इजलास श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 74 / 18

वादीगणः–

1. केसा पुत्र भगवाना
2. खंगारा पुत्र धूडा
3. सदाराम पुत्र धूडा
4. जगमाल पुत्र हरकेन
5. सुखराम पुत्र हरकेन
6. सदाराम पुत्र हरकेन
7. धनी पत्नी खंगारा
8. लाधूराम पुत्र चौथाराम
   जातियान विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रतिवादीगण :–

1. वीरा पुत्र रूपा
2. सिदा पुत्र रूपा
3. वरीगा पुत्र जावता जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा गुडामालानी
5. शाखा प्रबन्धक जीएजीबी शाखा सडा
6. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी

दावा बाबत् अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 10.12.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व प्रतिवादीगण श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद जारिये राजीनामा स्वीकार कर सरहद मौजा नगर के वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 554 / 3 रकबा 17–01 बीघा में से 09–10 बीघा भूमि वादीगण को माफिक राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'ब' बरंग लाल अनुसार वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाकर माफिक परिशिष्ट 'ब' अनुसार डिक्री की जाती है। परिशिष्ट 'ब' डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुडामालानी राजस्व अभिलेख में इसी प्रकार अमलदारामद करे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करे। खर्चा पक्षकारन अपना –अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.19 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

क्रमांकः वाचक / 2019 / 4076

दिनांक : 23/12/19

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर

दिनांक 23/12/19

20/12/19

वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। पक्षकारान मय वकील उपस्थित। पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य गांव के मौजिज लोगों के समझाने से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। उक्त वाद को राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे।

अतः पक्षकारान व पक्षकारान अधिवक्ता के निवेदन पर पक्षकारान के मध्य हुए लोक अदालत की भावना से राजीनामा को ध्यान में रखते हुए उक्त वाद राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा मुरतब हो जारी हो। पत्रावली कमल कुमार लेकर दाखिल दफ्तर हो।

सदराम

लादूराम

रामलाल

गंगाराम

पुखराज S/o धूड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested